प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर थाना– सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2023
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 124/23 दिनांक 20/5/23
2. (1) अधिनियम पी0सी0एक्ट धारा :–7 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें:–
   (3) अधिनियम .... धारायें :–........................
   (4) अन्य अधिनियम व धारायें :– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 409 समय 12:05 PM
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– दिनांक 19.05.2023 समय 11.39 ए0एम0
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 18.05.2023 समय 7.16 ए0एम0
4. सूचना की किस्म :– कम्पूटराईज्ड
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– चौकी से बदिशा दक्षिण करीबन 65 किलोमीटर
   (ब) पता :– आरोपी का कार्यालय कक्ष, कार्यालय खण्ड़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–
6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता
   (अ) नाम :– श्री पवनकुमार
   (ब) पिता का नाम :– श्री लाधुराम
   (स) जन्मतिथि/वर्ष :– उम्र 36 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य) पाटपोर्ट संख्या :–........................ जारी होने की तिथी........................
   (र) व्यवसाय :– संविदा पंचायत शिक्षक, रा0उ0मा0वि0 खेराजाणियों की ढाणीं धोरीमना
   (ल) पता :– निवासी गांव खरड़ तहसील व पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
   मोबाईल नम्बर 982987080
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री जमनालाल जाति छीपा उम्र 42 वर्ष निवासी दरगाह मोहल्ला आसींद, तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खण्ड़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 8001336902 व 9413490925
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण– कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टयां :–........................
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पतिया का कुल मूल्य :– ट्रेप राशि 4,000 रुपये
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)........................
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट ....

21/5

सेवामें

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर

विषय :– आरोपी को रिश्वती राशि लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझ पवनकुमार पुत्र श्री लाधुराम जाति विश्नोई निवासी खरड़ धोरीमन्ना की पत्नी श्रीमति कमला एएनएम का स्थायीकरण नवम्बर 2022 में हुआ स्थायीकरण करने के लिए पांच हजार रुपये मांग रहा था जिसके मेने एक हजार रुपये दे दिये तथा एक हजार रुपये सेलेरी एरियर बनाने के लिए थे। अब मेरी पत्नी के पिछले दो महीनो की सैलेरी का बिल नहीं बना रहां है तथा न ही मेरी पत्नी के एरियर के बिल बना रहा है इस सम्बंध में मैं महावीर बाबूजी से मिला तो कहां कि पांच हजार रुपये खर्चे पानी के दो तो मैं बिल बना दुंगा मैं इसकों खर्चे पानी के रुप में रिश्वत मांग रहे इनको रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ, मेरे व श्री महावीर बाबूजी के बीच में न तो कोई लेन–देन बकाया हैं न ही कोई आपसी रजिंस है।

अतः कानूनी कार्यवाही करे।

दिनांक 18/05/2023

प्रार्थी
–एसडी/–
पवन कुमार
9829870807

एसडी/–
भंवरलाल
19/5/23

एसडी/–
जसराज पंवार
19/5/23

एसडी/–
पवनकुमार
19/05/23

एसडी/–
रामनिवास
19.5.23

कार्यवाही पुलिस दिनांक 18.05.2023 वक्त 7.16 ए0एम0

इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9649911773 पर एक व्यक्ति ने अपने मोबाईल नम्बर 9829870807 से जरिये वाट्सअप कॉल कर स्वयं का नाम पवनकुमार होना बताया है एवं ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु किसी परिचित से आपके मोबाईल नम्बर प्राप्त करना बताया एवं बताया कि उसकी धर्मपत्नि का नाम कमला है एवं वह ए0एन0एम0 है, जो गांव खारी में पदस्थापित है, जिसका बकाया एरियर एवं दो माह का वेतन बनाने की एवज में बीसीएमएण्डएचओ धोरीमन्ना का लिपिक 5000रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं उसके विरुद्व कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कहा तो उसने कहा कि मैं आपके कार्यालय में आज उपस्थित होने मे असमर्थ हूँ, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उससे थोड़ी देर बाद स्वयं वार्ता करने का कहा। तावाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जरिये मोबाईल परिवादी के मोबाईल पर कॉल किया तो परिवादी द्वारा उक्त कॉल को रिसिव नहीं किया गया, जिस पर अग्रिम वार्ता नहीं हो सकी। दिनांक 18.05.2023 को समय 10.31 ए0एम0 पर श्री पवनकुमार ने अपने मोबाईल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर वार्ता कर बताया कि उसकी धर्मपत्नि ए0एन0एम0 के पद पर बीसीएमएण्डएचओ धोरीमन्ना के अधिन पदस्थापित है, जिसका बकाया एरियर एवं दो माह का वेतन बनाने की एवज में वहॉ पदस्थापित श्री महावीर बाबू रिश्वत की मांग कर रहा है एव बिना रिश्वत लिये वह किसी का भी काम नहीं करता है। मेरे से मेरी पत्नि के बकाया एरियर एवं वेतन बनवाने व फिक्सेशन की फाईल के नाम पर श्री महावीर बाबू 5000रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मेरी धर्मपत्नि की सहमति से मैं उसको रंगे हाथो पकड़वाने की कार्यवाही करवाना चाहता हूँ, जिस पर परिवादी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी बाड़मेर उपस्थित

होने का कहने पर उसने बताया कि मेरे निजी कार्य होने से मैं बाड़मेर उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को अवगत करवाया कि मेरे कार्यालय का कार्मिक श्री लालाराम कानि0 धोरीमन्ना पहुच आपसे जरिये मोबाईल सम्पर्क कर लेगा, मैं श्री लालाराम कानि0 को आपके मोबाईल नम्बर दे रहा हूँ, आप उसे आपका जायज कार्य करने की एवज में रिश्वत मांगने वाले लिपिक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र बंद लिफाफे में प्रस्तुत कर उक्त लिपिक के पास जाकर उससे रिश्वती राशि मांग बाबत वार्ता कर उक्त वार्ता को श्री लालाराम कानि0 द्वारा प्रस्तुत डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हालात से अवगत करवाए एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरते। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री लालाराम कानि0 को कार्यालय मे तलब कर परिवादी श्री पवनकुमार के मोबाईल नम्बर सुपूर्द कर उससे सम्पर्क कर प्रार्थना पत्र प्राप्त करने एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप करवाने हेतु ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर अलमारी से निकालकर खाली होना सुनिश्चित कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु धोरीमन्ना जाने की हिदायत दी एवं श्री लालाराम कानि0 को बताया कि आप परिवादी के मोबाईल नम्बर पर वार्ता कर उनसे बंद लिफाफे मे शिकायत प्राप्त कर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर के सचालन की समझाईश कर परिवादी के साथ जाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड कर अग्रिम हालात से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाये, जिस पर श्री लालाराम कानि0 328 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये वाट्सअप कॉल बताया कि मैने धोरीमन्ना पहुच परिवादी से प्रार्थना पत्र बंद लिफाफे में प्राप्त कर लिया है एवं परिवादी ने अपने स्तर पर श्री महावीर बाबू का मालूमात किया तो उसका बाड़मेर मुख्यालय पर जाना एवं सायं 5.00बजे तक पुनः आना ज्ञात हुआ है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री लालाराम कानि0 को श्री महावीर बाबू के वापिस आने तक मुकीम रहने एवं उसके उपस्थित आने पर परिवादी के मार्फत रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने की हिदायत दी।

तत्पश्चात दिनांक 18.05.2023 को समय 6.36 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के वाट्सअप नम्बर पर श्री लालाराम कानि0 ने वार्ता कर अवगत करवाया कि परिवादी एवं श्री महावीर बाबू के मध्य परिवादी के पैण्डिंग कार्य के सम्बंध में रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप हो गई है, जिसे परिवादी ने ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है एवं परिवादी ने बताया कि आरोपी ने उससे वार्ता कर कहा कि उसकी धर्मपत्नि एरियर बिल ट्रेजरी में आक्षेप लगने के कारण अभी तक पारित नहीं हुए होना एवं उसकी धर्मपत्नि के बकाया 02 माह का वेतन वह बना देगा, उसने यह भी बताया कि बाकी वालो ने 5000–5000रुपये दिये है आप मुझे 4000रुपये दे देना इत्यादि वार्ता होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लालाराम कानि0 को परिवादी से वार्ता करवाने का कहने पर श्री लालाराम ने स्वयं के मोबाईल से लगातार वार्ता करवाते हुए परिवादी ने भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप होने की तथ्य से अवगत करवाया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 19.05.2023 को प्रातः 8.30 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी पर अग्रिम कार्यवाही बाबत उपस्थित होने बाबत पाबंध किया तो परिवादी ने बताया कि मैं आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4,000रुपये की व्यवस्था कर दिनांक 19.05.2023 को प्रातः आपके कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाउंगा, जिस पर परिवादी को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत हुई एवं श्री लालाराम कानि0 को अविलम्ब ब्यूरो चौकी उपस्थित होने बाबत पाबंध किया। दिनांक 19.05.2023 को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो स्टाफ को प्रातः ब्यूरो चौकी पर उपस्थित रहने बाबत पाबंध किया गया। ताबाद श्री लालाराम कानि0 नं 328 ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ एवं एक बंद लिफाफा एवं ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। बंद लिफाफे को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन के हालात पूछने पर श्री लालाराम कानि0 ने पूर्व में जरिये वाट्सअप कॉल अवगत करवाये तथ्यो की ताईद की। श्री लालाराम कानि0 द्वारा बताये तथ्यो पर डिजिटल टेप रिकार्ड को ऑन कर सुनने पर बताये गये तथ्यो की ताईद हुई एवं आरोपी द्वारा परिवादी से 4,000रुपये रिश्वत मांग करने की पुष्टि हुई। डिजिटल टेप रिकार्डर को स्वीच ऑफ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा।

तत्पश्चात दिनांक 19.05.2023 को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर को गोपनीय कार्यवाही हेतु दो सरकारी गवाह ब्यूरो चौकी में समय 8.30 ए0एम0 तक भिजवाने बाबत जरिये मोबाईल पाबंध किया। ताबाद ब्यूरो चौकी बाड़मेर में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में परिवादी श्री पवनकुमार पुत्र श्री लाधुराम उम्र 36 वर्ष जाति विश्नोई पैशा संविदा पंचायत शिक्षक, रा0उ0मा0वि0 खेराजाणियों की ढाणी धोरीमना निवासी गांव खरड तहसील व पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर

४१७

9829870807 उपस्थित हुआ एवं अवगत करवाया कि आरोपी श्री महावीर बाबू द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि 4,000रुपये साथ लेकर आया हूँ, जिस पर पूर्व पावंध सुदा दो सरकारी गवाह मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुए। पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री पवनकुमार के समक्ष दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उनसे परिचय पूछने पर उन्होंने अपना परिचय श्री जसराज पवार पुत्र श्री शंकरलाल जाति दर्जी उम्र 32 वर्ष पैशा नौकरी निवासी इन्दा कॉलोनी बाड़मेर हाल सूचना सहायक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर मोबाईल नम्बर 7014875144 व श्री भंवरलाल पुत्र श्री मूलाराम जाति जाट उम्र 29 वर्ष पैशा नौकरी निवासी ओगाला हाल सूचना सहायक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9672865540 होना बताया, जिस पर पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री पवनकुमार को दोनो गवाहान से परस्पर परिचय करवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वय की अलमारी में परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो बंद लिफाफे मे था एवं डिजिटल टेप रिकार्डर को निकलवाकर उक्त बंद लिफाफे को उपस्थितान के समक्ष खुलवाकर उक्त प्रार्थना पत्र को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पढ़कर परिवादी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन के हालात पूछे, जिस पर परिवादी ने बताया कि "मेरी पत्नि श्रीमति कमला ए0एन0एम0 का स्थायीकरण नवम्बर 2022 में हुआ, स्थायीकरण करने के लिए पॉच हजार रुपये मांग रहा था, जिसके मेने एक हजार रुपये दे दिये तथा एक हजार रुपये सैलेरी एरियर बनाने के लिए थे। अब मेरी पत्नि के पिछले दो महिनो की सैलेरी का बिल नहीं बना रहा है तथा न ही मेरी पत्नि के एरियर के बिल बना रहा है। सा सम्बंध में मैं महावीर बाबूजी से मिला तो कहा कि पॉच हजार रुपये खर्चे पानी के दो तो मै बिल बना दुंगा, मैं इसको खर्चे पानी के रुप में रिश्वत मांग रहे इनको रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ, मेरे व श्री महावीर बाबूजी के बीच में न तो कोई लेन-देन बकाया है न ही कोई आपसी रंजिश है"। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढ़ाया गया। दोनो गवाहान ने भी परिवादी से उक्त शिकायत के तथ्यो के सम्बंध में वार्ता कर पूर्ण तस्सली की। परिवादी ने यह भी बताया कि पूर्व में मेरी धर्मपत्नि के स्थायीकरण के वक्त जब मै श्री महावीरजी बाबू से मिला तब उन्होंने मेरे से रिश्वत की मांग की थी, उस समय मेरे द्वारा उनको एक हजार रुपये रिश्वत दी थी, किन्तु मुझे उसकी शिकायत कहा पर की जा सकती है की जानकारी नहीं होने से मैं उस समय शिकायत नहीं कर पाया था, उसके बाद पुनः रिश्वत की मांग करने पर मेरे द्वारा जानकारी करने पर एसीबी बाड़मेर का पता चलने पर मैने उक्त शिकायत प्रस्तुत की है। तत्पश्चात रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू कर परिवादी की उपस्थिति में दोनो गवाहान को सुनाया गया। परिवादी की रिपोर्ट एंव वार्तालाप में सत्यापन से सबधित अंशो को सुनने के पश्चात अपने स्तर पर दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति दी। परिवादी के हस्ताक्षर भी पुनः प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये। परिवादी ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मैंने धोरीमन्ना में टाईप की दुकान से टाईप करवाकर मेरे हस्ताक्षर करके श्री लालाराम कांनि0 को बंद लिफाफे डालकर सुपूर्द किया था।

तत्पश्चात दोनों गवाहान के रूबरू परिवादी श्री पवन कुमार को आरोपी श्री महावीर बाबू कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धोरीमना जिला बाड़मेर को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा गया, तो परिवादी श्री पवन कुमार ने पॉच सौ रुपये के आठ नोट कुल 4000 रुपये अपने पास से निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर फर्द में अंकित किये जाकर कार्यालय हाजा के मालखाना को श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. न0 62 से खुलवाया जाकर फिनोफथलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. से उक्त 4000 रू के सभी नोटों को एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादी श्री पवन कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री जसराज पंवार सूचना सहायक से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री पवन कुमार के पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब मे श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री पवन कुमार को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ आरोपी श्री महावीर बाबू के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवें तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी श्री पवन कुमार को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहा रखता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर हाथ फैर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर या ब्यूरो के किसी अन्य स्टाफ के मोबाईल पर मिसकॉल/कॉल करके गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच

सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गहरा गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे मे सभी को भली–भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी जाकर श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. से मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यो, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपतिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना–अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. को कार्यालय हाजा में वास्ते निगरानी पीछे छोड़ने का निर्णय लिया गया, फर्द मुर्तिब कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की जाकर रिश्वती राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 62 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय हाजा में छोडा जाकर मन् रामनिवास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी श्री पवनकुमार, हमराह स्वतन्त्र गवाहान श्री भंवरलाल सूचना सहायक, श्री लालाराम कानि0 एवं श्री ठाकराराम कानि0 के निजी कार से एवं स्वतंत्र गवाह श्री जसराज पंवार सूचना सहायक, ब्यूरो जाब्ता श्री मिश्रीमल कानि0 260, श्री अनूपसिंह कानि0 नं0 397, मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री तथा डिजीटल टेप रिकॉर्डर के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या आरजे 14 यूए 9364 व वाहन चालक श्री बांकाराम कानि0 584 के ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी बाड़मेर से परिवादी के बताये अनुसार धोरीमन्ना को रवाना होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के अपने–अपने वाहनो से कार्यालय खण्ड़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी धोरीमन्ना के सामने पहुचे। परिवादी श्री पवनकुमार को ब्यूरो चौकी का डिजिटल टेप रिकार्डर चालू कर रिश्वती राशि लेन–देन हेतु कार्यालय में भेजा एवं परिवादी को पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारे की हिदायत की। परिवादी श्री पवनकुमार के पीछे–पीछे श्री लालाराम कानि0 को भेजा एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमरायान के परिवादी के निर्धारित गोपनीय ईशारे के इन्तजार में उक्त कार्यालय के बाहर अपने–अपने खडे वाहने में बैठे मुकीम हुए।

तत्पश्चात मौतबिरान के रूबरू समय करीबन 11.39 ए0एम0 पर परिवादी श्री पवनकुमार ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा आरोपी के कार्यालय की सीढीयो पर आकर कॉल कर रिश्वती राशि लेन–देन होने का बताया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अन्य वाहन में उपस्थित ट्रेप दल को भी उक्त कार्यालय में पहुचने बाबत जरिये मोबाईल सूचित किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री भंवरलाल स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ श्री ठाकराराम कानि0 कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी धोरीमन्ना के सीढीयो पर पहुचा, जहॉ पर परिवादी श्री पवनकुमार एवं श्री लालाराम कानि0 उपस्थित मिले जिस पर परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच आफ कर कब्जे में लिया। शेष ट्रेप दल व स्वतंत्र गवाह श्री जसराज पंवार सूचना सहायक भी उक्त स्थान पर पहुचे। परिवादी श्री पवनकुमार को साथ लेकर उसके कहे अनुसार प्रथम तल पर कार्यालय के अन्दर बने कमरे में प्रवेश हुआ, उक्त कक्ष में एक व्यक्ति कम्प्यूटर पर कार्य करता हुआ मिला। परिवादी श्री पवनकुमार ने बताया कि यह ही श्री महावीर बाबूजी है, जिसने अभी अभी मेरे से रिश्वत राशि 4000रुपये दाहिने हाथ में लेकर कम्प्यूटर टेबल की प्रथम दराज मे रखी है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय पत्र दिखाते हुए स्वयं एवं ट्रेप दल का परिचय बताते हुए कम्प्यूटर टेबल पर बैठे व्यक्ति को उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री जमनालाल जाति छीपा उम्र 42 वर्ष निवासी दरगाह मोहल्ला, आसींद तहसील आसींद जिला भीलवाडा हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खण्ड़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 8001336902 व 9413490925 होना बताया एवं बताया कि मैं जून 2020 से मैं उक्त कार्यालय मे पदस्थापित हूँ। मेरे पास उक्त कार्यालय की संस्थापन एवं वेतन लिपिक का कार्य है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पास ही खड़े परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा की आप

इन्हें पहचानते है एवं परिवादी से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है, जिस पर आरोपी ने बताया कि मै इनको जानता हूँ, यह हमारे विभाग मे ए0एन0एम0 के पद पर पदस्थापित श्रीमति कमला के पति है, श्रीमति कमला का पदस्थापन खारी मे है। इनके पति का नाम मुझे पता नहीं है, मैने इनसे कोई रिश्वत राशि प्राप्त नही की है, इन्होने अपनी इच्छानुसार कुछ राशि मेरी कम्प्यूटर टेबल की दराज मे रखी है, मैने इनसे कोई रिश्वत राशि नही ली है, इन्होने जो राशि मेरी टेबल की दराज में रखी है वह उनका काम करने पर खुश होकर रखी है, मैने पैसो के हाथ नहीं लगाया है, जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री पवनकुमार ने स्वैच्छा से बताया कि श्री महावीरजी झूठ बोल रहे है, मेरी धर्मपत्नि श्रीमति कमला एएनएम का स्थायीकरण नवम्बर 2022 में हुआ था, श्री महावीरजी ने स्थायीकरण के लिए मेरे से 5000रुपये रिश्वत की मांग की थी, उस समय मैने एक हजार रुपये दे दिये थे एवं एक हजार रुपये मेरे से पूर्व मे एरियर बनाने के भी प्राप्त कर चुके है एव पिछले दो माह का वेतन एवं एरियर बनाने की एवज मे मै जब इनसे मिला तो इन्होने मेरे से 5000रुपये खर्च पानी के मांगे, जिस पर मैने आपको शिकायत दी एवं कल दिनांक 18.05.2023 को मैं इनके कार्यालय में आकर मिला एवं इनसे वार्ता की तो इन्होने मेरी धर्मपत्नि के एरियर बिल ट्रेजरी में आक्षेप लगने के कारण अभी तक पारित नही हुए होना बताया एवं मेरी धर्मपत्नि के बकाया 02 माह का वेतन बनाने हेतु उसने कहा कि बाकी वालो ने 5000–5000रुपये दिये है आप मुझे 4000रुपये दे देना, उक्त वार्ता को मेरे द्वारा एसीबी के डिजिटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड किया था। आज इन्होने पूर्व में मांगी गई रिश्वत राशि मेरे से प्राप्त कर अपने दाहिने हाथ में लेकर कम्प्यूटर टेबल की प्रथम दराज में रखी, जिस पर मेरे द्वारा कार्यालय के बाहर आकर आपको मोबाईल पर कॉल कर गोपनीय ईशारा किया, जिस पर आप सभी मेरे साथ उक्त कार्यालय में आए। तत्पश्चात आरोपी के कार्यालय कक्ष में ही आरोपी श्री महावीर प्रसाद वरिष्ठ लिपिक के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कांच की दो साफ गिलासो में उनके कार्यालय कक्ष से ही साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त दोनो गिलासो में आधा–आधा साफ पानी भरकर दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन् ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री महावीर प्रसाद वरिष्ठ लिपिक के दांहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झाईदार हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का झाईदार होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में श्री महावीर प्रसाद वरिष्ठ लिपिक के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी हाजरीनों ने मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा– आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एलएच–1 व एल.एच–2 अंकित किया गया। परिवादी श्री पवनकुमार के बताये अनुसार आरोपी श्री महावीर प्रसाद वरिष्ठ लिपिक द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त कर कम्प्यूटर टेबल की प्रथम दराज में रखना बताने पर स्वतंत्र गवाह श्री भंवरलाल सूचना सहायक से उक्त कम्प्यूटर टेबल की प्रथम दराज की तलाशी लिरवाई जाने पर उक्त दराज में सरकारी दस्तावेजो एवं स्टेशनरी के बीच एक रुपयो का बण्ड़ल होना पाया गया, उक्त रुपयो के बण्ड़ल को स्वतंत्र गवाह श्री भंवरलाल सूचना सहायक से बाहर निकलवाया जाकर गिनवाने पर पॉच सौ–पॉच सौ रुपये के 08 नोट कुल राशि 4,000रुपये नकद होना पाये गये, उक्त बरामदा रिश्वती राशि का मिलान अन्य गवाह श्री जसराज पंवार सूचना सहायक को पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी दी जाकर नोटो के नम्बरो का मिलान करवाने पर हुबहु होना पाये गये, उक्त बरामदा रिश्वती राशि को एक कपड़े में सिल विट कर उस पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। उक्त बरामदा रिश्वती राशि आरोपी के कार्यालय कक्ष में कम्प्यूटर टेबल की प्रथम दराज में अन्य दस्तावेजात व स्टेशनरी के बीच में पाई जाने से उक्त दराज व स्टेशनरी का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कांच की एक साफ गिलास में उक्त कार्यालय से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर इस पानी में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त एक सफेद कपड़े के टुकड़ो को साफ पानी में मिलाकर दराज के उक्त स्थान को रगडकर गिलास में रंगहीन घोल में डुबोकर निचोड़ कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क डी–1 एवं डी–2 अंकित किया गया एवं सफेद कपडे का टुकडा, जिससे रगड़ कर धोवन लिया था पर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में डालकर सील चीट कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री महावीर प्रसाद वरिष्ठ लिपिक की जामा

तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जसराज पवार सूचना सहायक से लिवाई जाने पर उसके पहनी हुई पेन्ट में कुल 14650रुपये होना पाये गये, जिसके सम्बंध में आरोपी श्री महावीर प्रसाद वरिष्ठ लिपिक से पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं दो–तीन दिवस पूर्व अपने गांव से आते वक्त घर से अपने साथ निजी खर्च के लिए पैसे लाया था एवं आरोपी के पास एक ओपो कम्पनी का मोबाईल होना पाया गया, जिसमें सीम नम्बर के सम्बंध में आरोपी से पूछने पर उसने उक्त मोबाईल में एयरटेल सीम नम्बर 8003136902 एवं बीएसएनएल सीम नम्बर 9413490925 होना बताया एवं उक्त मोबाईल उसका स्वयं का होना बताया। आरोपी के पास मिली राशि के सम्बंध में आरोपी श्री महावीर प्रसाद वरिष्ठ लिपिक का स्पष्टीकरण मानने योग्य होने से उक्त राशि 14650रुपये एवं मोबाईल उन्हें पुनः सुपूर्द किये गये। आरोपी श्री महावीर प्रसाद वरिष्ठ लिपिक से परिवादी श्री पवनकुमार की धर्मपत्नि श्रीमति कमला ए0एन0एम0 के बकाया एरियर व दो माह के वेतन के सम्बंध में पूछने पर बताया कि इनका एरियर पूर्व में ही जमा हो चुका है एवं इनका वेतन इनके द्वारा एस0आई0 कटौती का ई–चालान के माध्यम से करवाकर चालान की प्रति, स्थायीकरण आदेश की प्रति, जी0एम0 55ए की प्रति मय प्रार्थना पत्र के डॉ0 तेजपालसिंह खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी धोरीमन्ना को दिनांक 12.05.2023 को प्रस्तुत किया था, जिस पर उनके द्वारा संस्थापन शाखा के नाम मार्क कर मेरे अवकाश से वापिस आने पर कल दिनांक 18.05.2023 को प्राप्त हुआ है, जो अभी मेरी टेबल पर ही पड़ा है, जिस पर उक्त दस्तोवजात प्रस्तुत करने का कहना पर श्री महावीर प्रसाद वरिष्ठ सहायक ने अपनी टेबल पर अन्य दस्तोवजात के बीच से निकालकर प्रस्तुत किया, जिसका अवलोकन किया गया। उक्त दस्तोवजात की प्रमाणित प्रतियाँ करवाई जाकर पृथक से शामिल पत्रावली करवाई जायेगी। रुबरु गवाहान आरोपी श्री महावीर प्रसाद वरिष्ठ लिपिक को परिवादी से 4000रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बंध में पुनः पूछने पर वहँ निरुत्तर रहे एवं बताया कि मैं पूर्व में आपको इस सम्बंध में बता चुका हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। परिवादी के पैण्डिंग कार्य से सम्बंधित दस्तोवजात की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध करवाने बाबत कार्यालय के डॉ तेजपालसिंह खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी धोरीमन्ना जरिये मोबाईल सम्बंध किया गया। कार्यवाही की फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बंधित को पढ़कर सुनाई गई। सुन समझ सही होना मानकर सम्बंधित ने अपने – अपने हस्ताक्षर किये। तावाद ट्रेप कार्यावाही विरुद्व श्री महावीरप्रसाद वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय खण्ड़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में परिवादी श्री पवनकुमार की निशादेही पर नक्शा मौका घटनास्थल मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई एवं ट्रेप कार्यावाही विरुद्व श्री महावीरप्रसाद वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय खण्ड़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में आरोपी द्वारा उक्त कार्यालय में ही एक कक्ष में निवास करना बताने, पर उक्त रहवासीय कक्ष की खाना तलाशी मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री पवनकुमार एवं श्री महावीरप्रसाद वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय खण्ड़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के मध्य दिनांक 18.05.2023 को रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रुबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्किप्ट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से उक्त वार्तालाप का एक मेमोरी कार्ड एवं एक सी0डी0 में श्री बांकाराम कानि0 से लोड करवाया जाकर मूल मेमोरी कार्ड को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं सी.डी. को खुली रखी गई। आरोपी श्री महावीर प्रसाद वरिष्ठ लिपिक एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री पवनकुमार द्वारा की गई एवं ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री पवनकुमार एवं श्री महावीरप्रसाद वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय खण्ड़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के मध्य दिनांक 19.05.2023 को रुबरु हुई रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रुबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्किप्ट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से उक्त वार्तालाप को एक मेमोरी कार्ड एवं एक सी0डी0 में श्री बांकाराम कानि0 से लोड करवाया जाकर मूल मेमोरी कार्ड को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं सी.डी. को खुली रखी गई। आरोपी श्री महावीर प्रसाद वरिष्ठ लिपिक एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री पवनकुमार द्वारा की गई। तावाद पूर्व पावंध सुदा डॉ0 तेजपालसिंह ने परिवादी की धर्मपत्नि के पैण्डिंग एरियर व बकाया वेतन से सम्बंधित दस्तावेजात जो परिवादी की धर्मपत्नि द्वारा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर को प्रार्थना पत्र के संलग्न दिनांक 12.05.2023 को प्रस्तुत किये थे, जो ट्रेप कार्यवाही में मतलूब होने से उक्त दस्तोवजात की प्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत की, जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया

गया। डॉ0 तेजपालसिंह को परिवादी की धर्मपत्नि के बकाया जायज कार्य को नियमानुसार पूर्ण करवाने की हिदायत हुई।

तत्पश्चात दिनांक 19.05.2023 को समय 6.00 पी0एम0 पर अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री जमनालाल जाति छीपा उम्र 42 वर्ष निवासी दरगाह मोहल्ला, आसींद तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 8001336902 व 9413490925 के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया जाने से उसे उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उनके सहकर्मी श्री किशोरकुमार वार्ड बॉय को दी गई। आरोपी श्री महावीर प्रसाद सूचना सहायक का मोबाईल व 14650रुपये आरोपी के कहे अनुसार श्री किशोरकुमार वार्ड बॉय को सुपूर्द किये गये। ट्रेप कार्यवाही में मौके की समस्त कार्यवाही सम्पूर्ण होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री महावीर प्रसाद वरिष्ठ सहायक, दोनो हाथो एवं टेबल की दराज के धोवन के प्रादर्श, डिजिटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, सिल चिट युक्त रिश्वती राशि 4,000रुपये, सफेद कपडे का टुकड़ा सील चीट युक्त, रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वती राशि लेन–देन से सम्बंधित वार्तालाप का एक–एक मूल मेमोरी कार्ड सील चीट व एक–एक सी0डी0 खुली, आरोपी के पैण्डिंग कार्य की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियॉ इत्यादि एवं ब्यूरो दल सदस्यो के निजी वाहन व सरकारी वाहन के ब्यूरो चौकी बाड़मेर के लिए रवाना हुए। ट्रेप कार्यवाही में अब परिवादी की आवश्यकता नहीं होने से परिवादी श्री पवनकुमार को रुखस्त दी जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री महावीर प्रसाद सूचना सहायक, ब्यूरो दल सदस्यो के उपरोक्तानुसार रवाना होकर ब्यूरो चौकी पहुचा। दोनो स्वतंत्र गवहान की अब ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता नहीं होने से रुखसत दी गई। ट्रेप कार्यवाही में आरोपी के दोनो हाथो के धोवन के प्रादर्श मार्क आरएच–01, आरएच–02, एलएच–01, एलएच–02, आरोपी के कम्पयूटर टेबल की प्रथम दराज के धोवन डी–01 एवं डी–02, सिल चिट युक्त रिश्वती राशि 4,000रुपये, सफेद कपडे का टुकड़ा सील चीट युक्त एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वती राशि लेन–देन से सम्बंधित वार्तालाप का एक–एक मूल मेमोरी कार्ड सील चीट व एक–एक सी0डी0 खुली श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को सुपूर्द कर सुरक्षित जमा मालखान्ना करवाया गया। गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री महावीर प्रसाद वरिष्ठ सहायक का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षित जमा हवालात करवाने हेतु पुलिस थाना कोतवाली के लिए तेहरीर मूर्तिब कर ब्यूरो दल सदस्य श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0, श्री लालाराम कानि0 एवं बाकाराम कानि0 के मय सरकारी बोलेरो वाहन के रवाना किया गया जो उपरोक्त फिकरा के श्री मोहम्मद हनीफ, श्री लालाराम कानि0 एवं श्री बांकाराम कानि0 मय सरकारी बोलेरो वाहन के आरोपी श्री महावीर प्रसाद वरिष्ठ सहायक का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के पश्चात आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर के हवालात में सुरक्षित जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आए। ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री महावीर प्रसाद वरिष्ठ सहायक को दिनांक 20.05.2023 को माननीय न्यायालय में पेश किया जाना है, जिस बाबत रिमाण्ड फार्म तैयार किया गया।

अतः आरोपी श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री जमनालाल जाति छीपा उम्र 42 वर्ष निवासी दरगाह मोहल्ला आसींद, तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय,

(रामनिवास)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाड़मेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामनिवास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री महावीर प्रसाद, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 124/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20.5.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः-935-38 दिनांकः- 20.05.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला बाड़मेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर।

20.5.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।